

## कानूनी(a)BR(H)-1)

मुख्यमंत्री पाल मोगिया विरुद्ध आम जनकां का

राजस्व मण्डल नियन्त्रण विधायक

क्रमांक निर. 2315 - दो. 4

जिला - लालगढ़

प्रधानमंत्री द्वारा आदेश


प्रधानमंत्री  
अधिकारी अधिकारी  
के हस्ताक्षर

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के

17-7-14 बिंदु पर प्रस्तुत तक भर विचार किया। यह प्रकरण आलोच्य भूमि को वाजिब उत्तर अजमाई में रास्ता, नाली, सड़क आदि के रूप में अंकित कर जाने के संबंध में है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उठसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के स्थल पंचाम के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह आया है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ सड़क नाली के रूप में स्थानान्विक नेतृत्व की भूमियाँ हैं अन्तीम प्रश्नाधीन भूमियों को खासरे दो कोलम नं. 12 में छुक एवं नाली तक सुसंरित जगत् अंकित करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों वा देखते हुए उनके आदेश में पश्चमदुष्ट्या हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं। परिणामतः इन निगरानी अग्रह्य की जानी है। आवेदक सूचित हो। आदेश का प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मेरी जाए। उल्लंघन नाम्यन रिकार्ड हो।

  
(एम.के. सिंह)  
सदरमंडल  
राजस्व मंडल, म0प्र0, गवालियर।

# ब्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



१८५६ ॥ १५

जितेन्द्र पाल मोगिया तनय स्व०गोविन्दराम मोगिया निवासी पुराना  
पावर हाउस चौक के पास सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना  
म0प्र0-----निगराकार

## बनाम

1. आम जनता कोलगवां जिला सतना म0प्र0
2. कैलाशचन्द्र जैन तनय स्व०मदनलाल जैन
3. नरेश जैन तनय स्व०मदनलाल जैन
4. महेश जैन तनय स्व०मदनलाल जैन
5. राजेश जैन तनय स्व०मदनलाल जैन

सभी निवासी पुराना पावर हाउस के पास सतना तहसील

रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0-----गैर निगराकारगण